ओ0पी0सिंह
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्याः–03/2019
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ–226001
दिनांकः जनवरी 12, 2019

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद
उ0प्र0।

विषयः– साइबर अपराधों की विवेचना के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय,

आर्थिक एवं व्यवासयिक क्षेत्र में इन्टरनेट एवं कम्प्यूटर सेवाओं के प्रयोग एवं इनके उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, Paytm वालेट, गेटवे पेमेन्ट, इन्टरनेट बैकिंग के माध्यम से धोखाधडी, फॉड, कूटरचना सम्बन्धी अनेक प्रकार के साइबर अपराधों के मामलें संज्ञान में आ रहे है। इस प्रकार के अपराधों में प्रायः एक से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते है तथा बेईमानीपूर्वक प्राप्त किये गये धन का स्थानान्तरण/संचरण कई स्थानों पर स्थित आर्थिक प्रतिष्ठानों में होता है।

2. इसी प्रकार का एक मामला डिप्टी रजिस्टार(क्रि0) मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा संज्ञान में लाया गया है। थाना हजरतगंज जनपद लखनऊ से सम्बन्धित इस मामलें में कॉल सेन्टर के संचालकों द्वारा **हॉलीडे पैकेज** के नाम पर पीड़ितों से अपने Paytm वालेट में धनराशि स्थानान्तरित करायी गयी पुनः उस धनराशि को कॉल सेन्टर द्वारा अन्य व्यापारियों के Paytm वालेट में स्थानान्तरित कर उनसे नकद धनराशि प्राप्त कर ली गयी। धोखा देकर बेईमानीपूर्वक हड़पी गयी इस धनराशि का संचय कतिपय स्थानीय व्यापारियों तक होते हुये पुनः नकद धनराशि के रूप में अभियुक्त कॉल सेन्टर संचालकों के पास हुआ है। इन व्यापारियों को अभियुक्त न बनाये जाने पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आश्चर्य व्यक्त किया गया है तथा इस प्रकार ईमानदारी से अर्जित धन काले धन के रूप में परिवर्तित होने पर आपत्ति व्यक्त की गयी है।

साइबर अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के हितों के संरक्षण, अपराधों की सूचना प्राप्त होने पर कम्प्यूटर एवं इलेक्ट्रिनिक सामग्री को कब्जे में लिये जाने के सम्बन्ध में बरती जाने वाली सावधानियों आदि के सम्बन्ध में आप समस्त के मार्गदर्शन हेतु मुख्यालय स्तर से पार्श्वकित परिपत्र निर्गत किये गये है, जो uppolice.gov.in पर उपलब्ध है।

डीजी–परिपत्र सं0–54/2018 दि0 04.10.2018
डीजी–परिपत्र सं0–17/2016 दि0 16.03.2016
डीजी–परिपत्र सं0–44/2013 दि0 05.08.2013

2. कतिपय राशन कोटेदारों द्वारा बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण तकनीकी का दुरूपयोग करते हुये आपरेटरों एवं पूर्ति निरीक्षकों से सांठ–गांठ करके एवं डाटाबेस में छेड़–छाड करते हुये अनाधिकृत व्यक्ति के आधार संख्या का बार–बार प्रयोग करके अवैध लाभ अर्जित किया जाना भी कतिपय प्रकरणों में प्रकाश में आया है। ऐसे मामलों की विवेचना के सम्बन्ध में मुख्यालय के पत्रांक सं0–सीए/डीपी/एसटीएफ–आठ(134)/2018 दिनांक 05.10.2018 द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

4. क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिग, e-commerce , Paytm वालेट, गेटवे पेमेन्ट आदि के माध्यम से किये जाने वाले अपराधों की विवेचना के सम्बन्ध में आप समस्त के मार्गदर्शन में निम्नलिखित दिशा–निर्देश पुनः निर्गत किये जा रहे है :–

i- कॉल सेन्टर द्वारा ई–वालेट या बैंक एकाउन्ट के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति के धन का ऑनलाईन ट्रान्सफर होने पर प्रत्येक व्यक्ति/संस्था, जिनके पास धन का संचरण हुआ हो अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने हेतु द0प्र0सं0 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस देकर आवश्यक सूचना प्राप्त की जाये तथा प्रत्येक व्यक्ति किसी

Scanned by CamScanner

संस्था का व्यक्ति/ कर्मचारी जिसके द्वारा अवैध लाभ अर्जित किया जा रहा हो उसे भी आरोपित किया जाये।

ii- कतिपय कॉल सेन्टर विभिन्न e-commerce , बेवसाइड में अवैध रूप से घुसपैठ करके कूटरचना एवं धोखा धडी करके अवैध रूप से निर्दोष व्यक्तियों का धन हड़प लेते है। इस प्रकार के प्रकरणों में कॉल सेन्टर से प्राप्त डाटा एवं पश्चातवर्ती सम्पर्को की समुचित छानबीन की जाये और अवैध लाभ और अपराध में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका निर्धारित की जाये।

iii- ई वॉलेट अथवा बैंक एकाउन्ट के माध्यम से अपराध होने पर के0वाई0सी0 का समुचित सत्यापन कराया जाये तथा नियमों का समुचित अनुपालन. न करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं से सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों की भूमिका भी निर्धारित की जाये।

iv- सिम कार्ड धारकों द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में सम्बन्धित मोबाइल कम्पनी में जमा किये गये पहचान पत्रों का भी सत्यापन कराया जाये।

v- अपराध में प्रयुक्त एवं अधिगृहीत लेपटॉप, मोबाइल फोन, डेस्कटॉप आदि का फॉरेसिंक/साइबर विशेषज्ञ से जांच कराकर आख्या प्राप्त की जाये एवं उस पर समुचित विवेचना की जाये।

vi- पीडित व्यक्ति के धन का जिन वॉलेट्स या बैंक खातों में स्थानान्तरण या संचरण हुआ है सबकी छानबीन की जाये तथा सम्बन्धित व्यक्ति अथवा संस्था के अधिकारी/कर्मचारियों की अपराध में सलिप्तता एवं उसकी भूमिका के सम्बन्ध में स्पष्ट अवधारण अंकित की जाये।

vii- यदि किसी दुकानदार या व्यापारी द्वारा किसी व्यक्ति के Paytm वालेट में धनराशि का ट्रान्सफर प्राप्त करके उसे नकद भुगतान किया जाये तो अपराध में उसकी भूमिका एवं संलिप्तता सुनिश्चित किया जाये ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा अवैध लाभ के लिये ऐसा किया जाता है तो उसे भी आरोपित किया जाये।

viii- यदि किसी साइबर अपराध की विवेचना में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विवेचनाधिकारी अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/एसटीएफ/प्रभारी साइबर सेल लखनऊ अथवा नोएडा से आवश्यक सहायता एवं दिशा–निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।

5. आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि साइबर अपराधों की विवेचना में उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुये निष्पक्ष एवं तर्कसंगत विवेचना सुनिश्चित करायें एवं किसी दोषी व्यक्ति को काले धन की वृद्धि में सम्मिलित पाये जाने पर उनके विरूद्ध उपलब्ध विधियों के अर्न्तगत कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

कृपया इसे अपने सभी अधीनस्थों को संज्ञानित कराते हुये प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

12/1/19

(ओ0पी0सिंह)

<u>प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।</u>

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner